सेबी [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 से संबंधित

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

डिस्क्लेमर: *इन एफ.ए.क्यू. में सेबी [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 (वर्ष 2026 के सेटलमेंट से संबंधित विनियम) से जुड़े पहलुओं आदि को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है । यहाँ जो कुछ भी समझाया गया है उससे यह न माना जाए कि किन्हीं कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की गई है, और न ही यह माना जाए कि सेबी की ओर से ऐसी राय व्यक्त की गई है / कोई मार्गदर्शन (गाइडेंस) दिया गया है। सेटलमेंट से संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी के लिए, आप कृपया अधिनियमों / विनियमों (रेग्यूलेशन्स) / परिपत्रों (सर्कुलर्स) के मूल रूप देखें, जो सेबी की वेबसाइट पर "कानूनी ढाँचा" (Legal Framework) शीर्षक के अंतर्गत दिए हुए हैं ।*

1. सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निपटारे (सेटलमेंट) का क्या अर्थ है, और सेबी में प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट) करने के लिए क्या-क्या कानूनी प्रावधान हैं?

I. सेबी अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 15ञख (15जेबी), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 23ञक (23जेए) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज एक्ट, 1996] की धारा 19-झक (19-आईए) में निम्नानुसार प्रावधान भी किया गया है:

क. कोई व्यक्ति सेबी द्वारा शुरू की गई या फिर शुरू की जा सकने वाली निर्धारित कार्यवाहियों के संबंध में सेबी के पास निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है;

ख. सेबी निपटारे (सेटलमेंट) हेतु किए गए प्रस्ताव के सिलसिले में तभी अपनी सहमति दे सकेगा, जब विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार सेबी द्वारा तय की गई रकम अदा कर दी जाए और निर्धारित की गई दूसरी शर्तों आदि का पालन कर लिया जाए ।

II. तदनुसार, सेबी ने निम्नलिखित विनियम बनाए:

क. वर्ष 2014 के निपटारे (सेटलमेंट) से संबंधित विनियम [सेबी (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014] - जो 20 अप्रैल, 2007 से लेकर 31 दिसम्बर, 2018 तक लागू रहे;

ख. वर्ष 2018 के निपटारे (सेटलमेंट) से संबंधित विनियम [सेबी (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018] - जो 1 जनवरी, 2019 से लेकर 6 नवम्बर, 2026 तक लागू रहे;

ग. **वर्ष 2026 के निपटारे (सेटलमेंट) से संबंधित विनियम {सेबी [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026} - जो 7 नवम्बर, 2026 से लागू हुए;**

ये विनियम सेबी की वेबसाइट पर इस लिंक के अंतर्गत दिए हुए हैं: https://www.sebi.gov.in/hindi/legal/regulations/oct-2026/securities-and-exchange-board-of-india-settlement-of-administrative-and-civil-proceedings-regulations-2026_105126.html

2. *निर्धारित कार्यवाहियों (स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स) का क्या अर्थ है?*

वर्ष 2026 के विनियमों के विनियम 2(1)(ठ) [2(1)(एल)] के अनुसार, निर्धारित कार्यवाहियों का अर्थ है - प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) संबंधी वे कार्यवाहियाँ, जो सेबी द्वारा शुरू की जा सकती हों या फिर शुरू की जा चुकी हों और जो सेबी के समक्ष चल रही हों, या फिर ऐसी कोई अपील जो माननीय सैट या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो ।

3. *वर्ष 2026 के विनियमों के प्रावधान का वर्ष 2018 के विनियमों के तहत लंबित निपटारे (सेटलमेंट) के आवेदनों पर क्या असर पड़ेगा?*

I. विनियम 44(i) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों के संबंध में पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा 7 नवम्बर, 2026 से पहले मंजूरी दे दी गई हो, तो ऐसे में वर्ष 2018 के विनियम लागू होंगे ।

II. विनियम 44(ii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों के संबंध में पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा 6 नवम्बर, 2026 तक मंजूरी न दी गई हों, तो ऐसे में आवेदक को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह, सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, या तो वर्ष 2018 के विनियमों के तहत कार्यवाही जारी रखने की मांग करे या फिर वर्ष 2026 के विनियमों के तहत नए सिरे से कार्यवाही चलाने की मांग करे ।

III. विनियम 44(iii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति ने 7 नवम्बर, 2026 तक कोई सिफारिश न दी हो, तो ऐसे में निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी कार्यवाही वर्ष 2026 के विनियमों के अनुसार ही की जाएगी।

4. जिस आवेदक ने या तो निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत ही न किया हो या फिर वर्ष 2018 के निपटारे (सेटलमेंट) से संबंधित विनियमों के तहत जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया हो, लौटा दिया गया हो या फिर उसने आवेदन खुद ही वापस ले लिया हो, तो ऐसे में क्या वह वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन कर सकता है?

जी हाँ । विनियम 4(3) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, आवेदक 7 नवम्बर, 2026 से 90 दिनों तक (यानि कि 4 फरवरी, 2027 तक) निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

5. वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन कब प्रस्तुत किया जा सकता है?

वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन कब-कब प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका जिक्र नीचे किया गया है:

I. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन स्वेच्छा से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यानि कि तब जब आवेदक अपनी इच्छा से विनियम 3(1) के अनुसार निपटारा (सेटलमेंट) करना चाहता हो;

II. विनियम 5(1) के अनुसार सूचना (नोटिस) [जो कारण बताओ नोटिस ("एस.सी.एन.") जारी होने से पहले जारी की जाती है] प्राप्त होने के बाद भी निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है;

III. विनियम 12(2) के साथ पठित विनियम 3(1) के अनुसार एस.सी.एन. जारी होने के बाद भी निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है;

IV. विनियम 12(2) के साथ पठित विनियम 3(1) के अनुसार ऐसी अपील के संबंध में भी निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जो माननीय सैट या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो;

V. विनियम 27 और 28 के अनुसार भी 'फास्ट ट्रैक' निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है;

VI. विनियम 30 के अनुसार गोपनीयता का फायदा पाने के लिए भी निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

6. सेबी किन मामलों में एस.सी.एन. (कारण बताओ सूचना) जारी करने से पहले विनियम 5(1) के अनुसार निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना (नोटिस) जारी नहीं करेगा?

विनियम 5(2) में यह प्रावधान किया गया है कि एस.सी.एन. जारी करने से पहले विनियम 5(1) के अनुसार निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना उन मामलों में जारी नहीं की जाएगी, जिन मामलों में अंतरिम निदेश (इंटरिम डाइरेक्शन) जारी किए जाने या मुकदमा चलाए जाने पर विचार किया जा रहा हो ।

7. फास्ट ट्रैक निपटारा (सेटलमेंट) क्या होता है?

फास्ट ट्रैक निपटारा (सेटलमेंट) दो तरह का होता है:

I. प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किया जाने वाला फास्ट ट्रैक निपटारा (सेटलमेंट), जो देरी से जानकारी देने (डिस्क्लोज़र किए जाने) आदि से जुड़े उल्लंघनों के मामले में किया जाता है (जैसा कि विनियम 27 में जिक्र किया गया है);

II. निपटारे (सेटलमेंट) की रकम की सीमा के आधार पर किया जाने वाला फास्ट ट्रैक निपटारा (जब निपटारे की रकम रु.10 लाख तक की हो, जैसा कि विनियम 28 में जिक्र किया गया है) ।

प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) हेतु सूचना (नोटिस) बोर्ड द्वारा कुछ तरह के उल्लंघनों {जैसे - देरी से जानकारी देने (डिस्क्लोज़र करने) [जिसमें रिटर्न, रिपोर्ट, दस्तावेज, आदि प्रस्तुत करना भी शामिल है] आदि से जुड़े उल्लघंन} के मामले में कोई निर्धारित कार्यवाही शुरू करने से पहले जारी की जा सकेगी ।

निपटारे (सेटलमेंट) की रकम की सीमा के आधार पर किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे के मामले में, अलग से कोई आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है । किसी विचाराधीन आवेदन के मामले में, यदि आंतरिक समिति की यह राय हो कि निपटारे की रकम केवल रु.10 लाख तक की बनती है और मामले का निपटारा बिना कोई धनराशि लौटाए (प्रत्यर्पित / डिस्गॉर्जमेंट किए बिना) या फिर कोई सुधारात्मक कदम उठाए बिना और किसी प्रावधान आदि का पालन किए जाने से संबंधित किसी शर्त का पालन किए बिना किया जा सकता है, तो ऐसे में उस आवेदन पर कार्यवाही 'निपटारे की रकम की सीमा के आधार पर किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे' के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

निपटारे (सेटलमेंट) की रकम की सीमा के आधार पर किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे के मामले में, निपटारे की शर्तों आदि में बदलाव (यदि कोई हो) किए जाने के बाद आवेदन सीधे पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष रखा जाएगा और उसे उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष रखने की जरूरत नहीं होगी ।

8. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कितनी फीस देनी होती है और निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन का फॉर्मेट क्या है?

I. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार फीस जमा करानी होती है:

क. किसी व्यक्ति (नैचुरल पर्सन) के मामले में - ₹25,000/-

ख. दूसरों के मामलों में - ₹35,000/-

II. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन का फॉर्मेट वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) की अनुसूची-I के भाग-क में दिया हुआ है ।

9. वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत क्या-क्या समय-सीमाएँ तय की गई हैं?

क्र. सं.	**इनके संबंध में**	**समय-सीमा**	**विनियम**
(i)	सेबी के पास 7 नवम्बर, 2026 तक की स्थिति के अनुसार चल रही किसी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में	4 फरवरी, 2027	विनियम 4(3)
(ii)	माननीय सैट या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 7 नवम्बर, 2026 तक की स्थिति के अनुसार अपील स्तर पर विचाराधीन किसी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में	तब तक, जब तक कि अपील विचाराधीन रहे	विनियम 4(2)
(iii)	कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस / एस.सी.एन.) जारी होने से पहले जारी की गई सूचना (नोटिस) प्राप्त होने पर निपटारा (सेटलमेंट) करने के	ऐसी सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन	विनियम 5(1)

	लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में		
(iv)	प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में	फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन । सेबी 15 दिनों का और समय दे सकेगा ।	विनियम 27(6) के साथ पठित विनियम 27(4)
(v)	जिन निर्धारित कार्यवाहियों का जिक्र ऊपर नहीं किया गया है उनका निपटारा (सेटलमेंट) करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में	कारण बताओ सूचना (एस.सी.एन.) या एस.सी.एन. के संबंध में बाद में भेजी गई सूचना की तामील किए जाने की तारीख से 90 दिन	विनियम 4(1)
(vi)	प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) के तहत निपटारे (सेटलमेंट) की रकम का भुगतान करने के संबंध में	सेबी का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन । सेबी 15 दिनों का और समय दे सकेगा । हालाँकि, यदि और समय दिया जाता है, तो निपटारे (सेटलमेंट) की रकम भी 1% तक बढ़ा दी जाएगी ।	विनियम 27(6) और विनियम 42(3) के साथ पठित विनियम 27(4)(घ)
(vii)	बदलाव आदि करके आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में	आवेदन लौटाए जाने की तारीख से 15 दिन	विनियम 3(7)

(viii)	निपटारे (सेटलमेंट) की संशोधित शर्तें आदि प्रस्तुत करने के संबंध में	आंतरिक समिति के साथ हुई बैठक की तारीख से 21 दिन ।	विनियम 22(5)(ङ)
(ix)	मांग की सूचना (डिमांड नोटिस) जारी करने के संबंध में	पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के निर्णय की तारीख से 10 दिन ।	विनियम 25(3)
(x)	निपटारे (सेटलमेंट) की रकम जमा करवाने के संबंध में	मांग की सूचना (डिमांड नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन । ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का और समय दिया जा सकेगा । हालाँकि, यदि और समय दिया जाता है, तो निपटारे (सेटलमेंट) की रकम भी 1% तक बढ़ा दी जाएगी।	विनियम 42(3) के साथ पठित विनियम 25(3)(क)
(xi)	यह विकल्प चुनने के संबंध में कि निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी कार्यवाहियाँ वर्ष 2018 के विनियमों के तहत चलाई जाएँ या फिर वर्ष 2026 के विनियमों के तहत ।	सेबी से सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन	विनियम 44(ii)

10. वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार समय-सीमाओं को और कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है?

वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार निम्नलिखित मामलों में समय-सीमाएँ बढ़ाई जा सकती हैं:

क. प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में - 15 दिनों का और समय दिया जा सकता है - विनियम 27(6);

ख. प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) के सिलसिले में निपटारे (सेटलमेंट) की रकम का भुगतान करने के संबंध में - 15 दिनों का और समय दिया जा सकता है - विनियम 27(6);

ग. निपटारे (सेटलमेंट) की रकम जमा करवाने के संबंध में - ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का और समय दिया जा सकता है - विनियम 42(3);

घ. हालाँकि, उपरोक्तानुसार यदि निपटारे (सेटलमेंट) की रकम जमा करवाने के लिए और समय दिया जाता है, तो ऐसे में निपटारे (सेटलमेंट) की रकम एक प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी ।

11. सेबी किन-किन मामलों में समय-सीमाओं में छूट नहीं दे सकता?

I. विनियम 42 में यह प्रावधान किया गया है कि सेबी किसी भी कार्य के संबंध में तय की गई समय-सीमाओं में छूट वहाँ दे सकता है, जहाँ उस कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख से 30 से ज्यादा दिनों का समय न बीता हो । हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में इस तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी:

   क. विनियम 4(1) के अनुसार एस.सी.एन. (कारण बताओ सूचना / शॉ कॉज नोटिस) या कारण बताओ सूचना के संबंध में बाद में भेजी गई सूचना प्राप्त होने के बाद आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा के मामले में ।

   ख. विनियम 5(1) के अनुसार एस.सी.एन. जारी करने से पहले भेजी गई सूचना (नोटिस) प्राप्त होने के बाद आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा के मामले में ।

II. इसीलिए, यदि कोई आवेदक कोई छूट लेना चाहता है, तो उसे संबंधित कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख से ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के भीतर वह छूट लेनी होगी ।

12. निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि में क्या-क्या शामिल होता हैं?

विनियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि में निम्नलिखित का भी जिक्र होगाः -

I. निपटारे (सेटलमेंट) की रकम का [जिसमें कानूनी खर्चे की रकम (जहाँ कहीं भी लागू हो) भी शामिल है] ।

II. लौटाई (डिस्गॉर्ज की) जाने वाली रकम का (जहाँ कहीं भी लागू हो) ।

III. सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तों का, साथ ही जहाँ कहीं भी लागू हो वहाँ दी जाने वाली हर जरूरी जानकारी भी देनी होगी (हर तरह का डिस्क्लोज़र भी करना होगा) ।

13. निपटारे (सेटलमेंट) की रकम कैसे निकाली जाएगी?

I. विनियम 10 में यह प्रावधान किया गया है कि निपटारे (सेटलमेंट) की रकम नीचे बताए गए फॉर्मूले के हिसाब से निकाली जाएगी:

निपटारे (सेटलमेंट) की रकम (एस.ए.) = बी.ए. × (एस + आर + जी + ए - एम)

"बी.ए." = आधार राशि (बेस अमाउंट); "एस" = स्टेड ऑफ प्रोसीडिंग (कार्यवाही का चरण); "आर" = रेग्यूलेटरी एक्शन फैक्टर (कार्रवाई के लिहाज से); "जी" = ग्रेविटी फैक्टर (मामले की गंभीरता के लिहाज से); "ए" = अग्रेवेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता बढ़ाने वाले पहलू); "एम" = मिटिगेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता घटाने वाले पहलू) ।

II. यदि (एस+आर+जी+ए-एम) का कुल मिलाकर योग एक से कम आए, तो उसे एक माना जाएगा ।

III. निपटारे (सेटलमेंट) की रकम, यथास्थिति, पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक के मामले में तीन लाख रुपये से कम नहीं होगी या दूसरों के मामले में सात लाख रुपये से कम नहीं होगी ।

IV. इस संबंध में, निपटारे (सेटलमेंट) की रकम निकालने की सुविधा सेबी की वेबसाइट पर दी हुई है, जिसे इस लिंक पर भी देखा जा सकता है: https://www.sebi.gov.in/set-cal-v2/set-cal.html ।

14. आधार राशि (बी.ए.) कैसे निकाली जाती है?

विनियम 11 के अनुसार, आधार राशि (बी.ए.) निकालने के लिए पहले तो यह देखा जाएगा कि निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को संबंधित कानूनी प्रावधान के अनुसार जुर्माने (पेनल्टी) के तौर पर न्यूनतम रकम कितनी बनती है, और फिर उस रकम को आवेदक किस तरह का है उस हिसाब से मल्टीप्लायर से गुणा कर दिया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया हैः

किस तरह का आवेदक है	**मल्टीप्लायर**
स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर)	2
कार्यकारी निदेशक से भिन्न निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर)	3
कार्यकारी निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) या प्रोमोटर (संप्रवर्तक) जिसके हाथों में नियंत्रण हो या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की-मैनेजरियल पर्सनल)	3.5
दूसरे व्यक्ति (नैचुरल पर्सन)	2.5
बॉडी कारपोरेट, इंटरमीडियरीज़ (मध्यवर्ती), पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (जो एंटिटी अलग-अलग जगहों से पैसे जुटाकर निवेश करती है) और दूसरे	4
एम.आई.आई.	5.5

15. किन-किन मामलों में पैसा लौटाना (डिस्गॉर्ज करना) जरूरी होगा?

उन सभी निर्धारित कार्यवाहियों के मामले में पैसा लौटाना (डिस्गॉर्ज करना) जरूरी होगा, जिनमें लौटाई जाने वाली रकम निकाली जा सकती हो ।

***16. सुधारात्मक* कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें ("आर.आर.टी.") क्या होती हैं और ये कब लागू होती हैं?**

I. आर.आर.टी. निपटारे (सेटलमेंट) की वे शर्तें आदि होती हैं, जिनका पालन निपटारे (सेटलमेंट) की रकम और पैसा लौटाए (डिस्गॉर्ज किए) जाने के अलावा करना होता है ।

II. जो कार्यवाहियाँ केवल जुर्माना लगाने के लिए ही की जा रही हों, उन्हें छोड़कर दूसरी सभी निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे (सेटलमेंट) के मामले में आर.आर.टी. लागू होंगी ।

III. आर.आर.टी. निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि में यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल की जा सकती हैं कि जिन चूकों (डिफॉल्ट) का निपटारा (सेटलमेंट) किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन चूकों को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाए ।

IV. आर.आर.टी. में शामिल हैं - विनियम 17 के अनुसार जानकारी देना (डिस्क्लोज़र करना), गबन किया गया पैसा कंपनी में वापस लाना, पैसा वापस (क्लॉ-बैक) करना, निवेशकों को पैसा लौटाना (रिफंड करना), निलंबन या रोक लगाना, आदि।

17. प्रस्तुत किए गए आवेदन का निर्धारित कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा?

I. विनियम 8(2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदन एस.सी.एन. (कारण बताओ सूचना) जारी होने से पहले प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे में एस.सी.एन. (कारण बताओ सूचना) जारी नहीं की जाएगी ।

II. विनियम 8(1) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदन एस.सी.एन. (कारण बताओ सूचना) जारी होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे में निर्धारित कार्यवाही तो चलती रहेगी किंतु अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

III. विनियम 8(3) में यह प्रावधान किया गया है कि आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी सेबी अंतरिम (इंटरिम) सिविल तथा प्रशासनिक निदेश जारी कर सकेगा ।

18. विनियम 6(1) के अनुसार किन मामलों का निपटारा (सेटलमेंट) नहीं किया जाएगा?

विनियम 6(1) के अनुसार, निम्नलिखित मामलों का निपटारा (सेटलमेंट) नहीं किया जाएगा:

I. जहाँ वर्ष 2026 के विनियमों के तहत उसी कथित चूक (डिफॉल्ट) के संबंध में कोई आवेदन कार्यवाही के किसी पिछले चरण में नामंजूर किया जा चुका हो । हालाँकि, यदि नामंजूर किए जाने के कारण अब लागू न हों, तो ऐसे में निपटारा (सेटलमेंट) किया जा सकता है । किंतु ऐसे में निपटारे (सेटलमेंट) की रकम के तौर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी ।

II. जहाँ एक ही मामले (कॉज ऑफ एक्शन) के संबंध में कोई ऑडिट किया जा रहा हो, कोई तहकीकात की जा रही हो, कोई निरीक्षण किया जा रहा हो या कोई जाँच-पड़ताल की जा रही हो (गोपनीयता वाले आवेदनों को छोड़कर);

III. जहाँ आवेदक को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला / विलफुल डिफॉल्टर), उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला या भगोड़ा आर्थिक अपराधी हो ।

19. विनियम 6(2) के तहत किन-किन मामलों में निपटारा (सेटलमेंट) नहीं किया जा सकेगा?

जहाँ किसी चूक का असर व्यापक रूप से बाजार पर पड़ा हो या उस चूक की वजह से बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा हो या फिर उस चूक की वजह से बाजार की निष्पक्षता पर आँच आई हो, वहाँ निपटारे (सेटलमेंट) हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन को नामंजूर किया जा सकेगा । हालाँकि, यदि ऐसे मामलों में समाधान कुछ जुर्माना लेकर तथा सुधारात्मक कदम उठाकर और किसी प्रावधान आदि का

पालन करने से संबंधित शर्तें आदि तय करके किया जा सकता हो, तो ऐसे मामलों में निपटारा (सेटलमेंट) किया जा सकेगा ।

20. कोई आवेदक निपटारे (सेटलमेंट) हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन कब वापस ले सकता है?

विनियम 7(3) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई आवेदक पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना दिए जाने से पहले किसी भी समय आवेदन वापस ले सकता है ।

21. यह कब माना जाएगा कि कोई आवेदन वापस ले लिया गया है?

विनियम 3(7) में यह प्रावधान किया गया है कि यह तब माना जाएगा कि आवेदन वापस ले लिया गया है, जब सेबी ने आवेदन लौटा दिया हो और आवेदक वह आवेदन पूरी तरह भरकर और उसमें बदलाव आदि करके तय समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत न करे ।

22. यदि वर्ष 2026 के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत आवेदन वापस ले लिया जाए या नामंज़ूर कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा?

I. निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए वचनों (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचनों (वेवर) पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे आगे भी मान्य रहेंगे, जैसा कि विनियम 7(6) में जिक्र किया गया है ।

II. जिस निर्धारित कार्यवाही के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, उसे शुरू किया जा सकेगा या फिर से शुरू किया जा सकेगा, जैसा कि विनियम 39(1) में जिक्र किया गया है;

III. यदि कोई आवेदन वापस ले लिया जाता है, तो ऐसे में वह आवेदन कार्यवाही के उसी चरण पर या फिर उसके बाद वाले चरण पर प्रस्तुत किया जा सकेगा, और इस प्रकार फिर से आवेदन प्रस्तुत करते समय निपटारे (सेटलमेंट) की रकम के तौर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी, जैसा कि विनियम 7(5) में जिक्र किया गया है;

IV. यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसे में आवेदन केवल कार्यवाही के अगले चरण पर तभी प्रस्तुत किया जाएगा, जब वह कारण लागू न रहे जिसके आधार पर आवेदन को पहले नामंजूर किया गया था, और इस प्रकार फिर से आवेदन प्रस्तुत करते समय निपटारे (सेटलमेंट) की रकम के तौर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी, जैसा कि विनियम 7(4) में जिक्र किया गया है;

V. आवेदक द्वारा दिए गए किन्हीं प्रस्तावों या प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या आवेदक की ओर से रखे गए पक्ष पर, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के समक्ष, न तो निर्भर रहा जाएगा और न ही उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, जैसा कि विनियम 40(2) में जिक्र किया गया है ।

23. यदि किसी एक मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) के लिए कई कार्यवाहियाँ चल रही हों, तो क्या आवेदक के लिए यह जरूरी है कि वह उन सभी निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करे? क्या कोई आवेदक कई निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट) करने के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है?

जी हाँ । आवेदक को किसी एक मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) से संबंधित सभी निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे (सेटलमेंट) हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि विनियम 3(5) में जिक्र किया गया है ।

24. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन जल्द प्रस्तुत करने के क्या फायदे हैं?

आवेदन जितना जल्द प्रस्तुत किया जाएगा, निपटारे (सेटलमेंट) की रकम निकालते समय उसके मामले में उतना ही कम "स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर" लगेगा । इसके अलावा, जल्द प्रस्तुत किए गए आवेदन के मामले में ब्याज भी कम लगेगा ।

25. ब्याज कब से लगना शुरू होगा और ब्याज की दर क्या होगी?

I. विनियम 20 में यह प्रावधान किया गया है कि ब्याज तब अदा करना होगा, जब आवेदक पर कोई रकम अदा करने की देनदारी बनती हो [जिसमें रकम लौटाना (डिस्गॉर्ज करना) भी शामिल है];

II. ब्याज हर उल्लंघन या हर ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक का लिया जाएगा;

III. यदि कोई अंतिम आदेश पारित न किया गया हो, तो ऐसे में नौ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा; और यदि अंतिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो ऐसे में अंतिम आदेश पारित किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत की दर से और उसके बाद बारह प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा;

IV. ब्याज केवल अदा की जाने वाली मूलधन की रकम पर ही लिया जाएगा, और अदा न की गई ब्याज की रकम पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा ।

26. क्या सेबी निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना (नोटिस) जारी करने के बाद संभावित आरोपों में बदलाव कर सकता है?

जी हाँ । विनियम 5(3) और 27(3) में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि सेबी निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना (नोटिस) या फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) की सूचना (नोटिस) जारी करने के बाद भी कानूनी कार्रवाई (इन्फोर्समेंट एक्शन) या संभावित आरोपों में बदलाव कर सकता है । ऐसी सूचना (नोटिस) जारी होने का यह अर्थ न निकाला जाए कि निपटारा (सेटलमेंट) उस सूचना में उल्लिखित आरोपों के आधार पर ही होगा ।

27. निपटारे (सेटलमेंट) के लिए बदलाव आदि करके आवेदन प्रस्तुत करने और निपटारे (सेटलमेंट) की संशोधित शर्तें आदि प्रस्तुत करने में क्या फर्क है?

I. जब आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में सही-सही जानकारी न दी गई हो और जो हर तरह से पूरा न हो या फिर जो विनियम 3(7) के प्रावधानों के अनुसार खरा न उतरता हो, तब आवेदक को आवेदन में बदलाव आदि करके फिर से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि विनियम 3(7) में जिक्र किया गया है;

II. निपटारे (सेटलमेंट) की संशोधित शर्तें आदि वे शर्तें आदि होती हैं, जो आवेदक आंतरिक समिति के साथ हुई चर्चा के अनुसार प्रस्तुत करता है, जैसा कि विनियम 22(5)(ङ) [22(5)(ई)] में जिक्र किया गया है ।

28. यदि आवेदक के खिलाफ दूसरे प्राधिकरणों (अथॉरिटीज़) के यहाँ कोई दूसरी कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों, तो ऐसे में क्या होगा?

विनियम 3(4) के अनुसार किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत, यदि किसी मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) के संबंध में भारत में या भारत के बाहर चल रही या पूरी हो चुकी किसी कार्यवाही के दौरान आवेदक के खिलाफ कोई तथ्य साबित हो चुके हों या कबूल किए जा चुके हों, और यदि उसी मामले से जुड़ी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा हो, तो ऐसे में यही माना जाएगा कि उस मामले से जुड़े तथ्यों को भी आवेदक ने कबूल कर लिया है ।

29. यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह जिक्र किया गया हो कि उसने साजिश रची थी या वह की-ऑपरेटर था, तो ऐसे में क्या होगा ?

विनियम 11(2)(iv) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि रिपोर्ट में या कारण बताओ सूचना में या फिर आदेश में किसी व्यक्ति के बारे में यह जिक्र हो कि उसी ने साजिश रची थी और वही मास्टरमाइंड या की-ऑपरेटर था, तो ऐसे में उस आवेदक के मामले में निपटारे (सेटलमेंट) की रकम निकालते समय आधार राशि दोगुनी कर दी जाएगी।

30. आंतरिक समिति क्या होती है और इसके कार्य क्या-क्या हैं?

विनियम 21 के तहत बनाई जाने वाली आंतरिक समितियों में सेबी के अधिकारी शामिल होते हैं । विनियम 22 में आंतरिक समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया हैं, उनमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

क. यह जाँच-पड़ताल करना कि क्या निर्धारित कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तें आदि क्या होंगी;

ख. यदि जरूरी हो, तो आवेदक को 21 दिनों के भीतर निपटारे (सेटलमेंट) की संशोधित शर्तें प्रस्तुत करने की अनुमति देना;

31. उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति क्या होती है और इसके कार्य क्या-क्या हैं?

विनियम 23 के तहत बनाई जाने वाली उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति में चार सदस्य होते हैं, जिनमें एक ऐसा न्यायिक सदस्य (ज्यूडिशियल मेंबर) होता है जो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और तीन बाहरी विशेषज्ञ होते हैं । विनियम 24 में इस समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया हैं, उनमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

क. आवेदक द्वारा प्रस्तावित निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि या निपटारे (सेटलमेंट) की संशोधित शर्तों आदि पर और उनके संबंध में आंतरिक समिति की सिफारिशों पर विचार करना;

ख. निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि में संशोधन करने के लिए कहना और यदि जरूरी हो, तो आवेदन वापस आंतरिक समिति को भिजवाना;

ग. पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तें आदि मंजूर करने या उनमें संशोधन करने या फिर उन्हें नामंजूर करने के संबंध में सिफारिश देना;

32. पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल क्या होता है और इसके कार्य क्या-क्या हैं?

पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल में दो या दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं {जैसा विनियम 2(1)(छ) [2(1)(जी)] में बताया गया है} । विनियम 25 में इस पैनल के जिन कार्यों का जिक्र किया गया है, उनमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

क. यदि जरूरी हो, तो निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि की दोबारा जाँच-पड़ताल हेतु आवदेन को लौटाना;

ख. आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को मंजूर या नामंजूर करना ।

33. निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश कौन पारित करता है?

विनियम 34 के अनुसार पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तें आदि मंजूर किए जाने के बाद:

I. स्वेच्छा से प्रस्तुत किए गए निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन, या एस.सी.एन. जारी किए जाने से पहले विनियम 5(1) के तहत सूचना जारी करने पर प्रस्तुत किए गए निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन, प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किए जाने वाले फास्ट ट्रैक निपटारे (सेटलमेंट) हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन या गोपनीयता का फायदा पाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के मामले में पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश पारित करेगा ।

II. एस.सी.एन. जारी होने के बाद निपटारे (सेटलमेंट) हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन के मामले में, वह प्राधिकारी निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश पारित करेगा जिसके समक्ष निर्धारित कार्यवाही चल रही हो ।

III. यदि निर्धारित कार्यवाही न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रही है, तो उस कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

34. निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश कब-कब रद्द किया जा सकता है और रद्द किए जाने पर क्या होगा?

I. विनियम 43(2) के साथ पठित विनियम 39 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश रद्द किया जा सकता है:

क. जब आवेदक निपटारे (सेटलमेंट) के आदेश में दी हुई किसी शर्त का पालन न करे;

ख. जब सेबी को यह पता चले कि आवेदक ने पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी नहीं दी है (डिस्क्लोजर नहीं किए हैं);

ग. जब आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय दिए हुए वचनों (अंडरटेकिंग) या अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचनों (वेवर) का उल्लंघन करे;

घ. जब आवेदक निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि में कोई विसंगति होने की वजह से निपटारे की जितनी रकम की देनदारी बन रही हो, वह रकम अदा न करे;

II. यदि निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसे में निर्धारित कार्यवाहियाँ या तो शुरू कर दी जाएँगी या फिर उसी चरण से शुरू कर दी जाएँगी जिस चरण पर वे निपटारे (सेटलमेंट) का आदेश पारित करने के समय थीं;

III. सेबी और आवेदक, आवेदक द्वारा किए गए किन्हीं प्रस्तावों या प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या आवेदक की ओर से रखे गए पक्ष पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के समक्ष निर्भर रह सकेंगे और उन्हें सबूत के तौर पर पेश कर सकेंगे ।

35. क्या आदेश को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना जरुरी है?

सेबी आदेश को रद्द करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, जैसा कि विनियम 39(2) में जिक्र किया गया है ।

36. पेमेंट गेटवे कैसे एक्सेस करें?

पेमेंट गेटवे का लिंक नीचे दिया गया है:
https://siportal.sebi.gov.in/intermediary/AOPaymentGateway.html

37. किसी भी तरह की सहायता के लिए सेबी से कैसे संपर्क करें?

I. यदि किसी व्यक्ति को कोई सहायता चाहिए, तो वह अलग से बनाए गए इस ईमेल आई.डी. पर ईमेल (संबंधित ब्यौरों सहित) भेजकर निवेदन कर सकता है: settle-help@sebi.gov.in;

II. यह निवेदन केवल इन मामलों में किया जा सकता है:

क. निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में;

ख. विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार निपटारे (सेटलमेंट) की रकम लगभग कितनी हो सकती है, वह निकालने के संबंध में;

ग. निपटारे (सेटलमेंट) के जिन आवेदनों के संबंध में कार्यवाही चल रही हो, उनकी स्थिति जानने के संबंध में ।

III. यदि सेबी को ऐसा लगे कि किए गए निवेदन में स्पष्टता नहीं है, तो सेबी उसका जवाब नहीं देगा । किए गए निवेदन का जवाब 5 कार्य-दिवसों के भीतर देने की पूरी कोशिश की जाएगी ।

IV. क्या-क्या ब्यौरे प्रस्तुत करने हैं और किस-किस तरह की सहायता हेतु निवेदन किया जा सकता है, इसके बारे में यदि और जानना चाहते हैं, तो कृपया हेल्पडेस्क की सुविधा से संबंधित यूजर मैनुअल देखें, जो इस लिंक पर दिया हुआ है:

https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jun-2026/1782726476068.pdf